

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 126 / 2015

दर्ज दिनांक:—06.11.2015

1. भावना पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. राजकुमारी पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

दुलीचन्द शर्मा

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक



निर्णय

दिनांक:—30.01.18

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। वकील वादिया उपस्थित तलवी प्रतिवादीगण की कराने हेतु वादिया को कई अवसर दिये गए दिनांक 13.12.2017 को दावा अपालना में खारिज किये जाने की भी चेतावनी दी गई। बाबजूद इसके वादिया ने प्रतिवादीगण की तलवी हेतु को स्टेप नहीं लिया गया। प्रतीत होता है कि वादिया की अपने दावा को चलाने में कोई रुचि नहीं है। अतः दावा वादिया 0-9.R-5CPC के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर